अनुसूची–१४ –फारम सं० ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं०– 01/2015

जालन्धर प्रसाद

बनाम

सरकार (मार्फत अनु० पदा, सदर,छपरा।)

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधेकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
23.07.2015	यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी,सदर, छपरा के आदेश ज्ञापांक 701, दिनांक 11.12.2014 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 16.09.2014 एवं दिनांक 19.09.2014 को जिला आपूर्ति पदाधिकारी,सारण के नेतृत्व में गठित जांच दल के द्वारा द्वारा जालन्धर प्रसाद, ज०वि०प्र०वि, अनु० सं०–08/07, पंचायत–बनपुरा, प्रखंड–लहलादपुर की दूकान की जांच की गई। जाँचोपरांत जिला आपूर्ति पदाधिकारी,सारण,छपरा के पत्रांक 806/आ०, दिनांक 23.09.2014 के द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के अनुसार जांच के क्रम में निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गई। 1. विक्रेता दूकान पर उपस्थित पाये गये एवं भण्डार प्रदर्शन पट्ट प्रर्दाशत पाया गया। 2. बाट, माप संबंधी अनुज्ञप्ति को उपस्थापित नहीं किया गया तथा उपभोक्ताओं को कैश मेमो निर्गत नहीं किया जाता है। 3. विक्रेता के भंडार में AAY का गेहूँ 7.84 क्वी० चावल 11.76 क्वी० और PHH का गेहूँ 14.74 क्वी० चावल 22.1 क्वी० तथा किरासन तेल 70.75 लीटर का भौतिक सत्यापन किया गया। परन्तु PHH तथा AAY खाद्यान्न वितरण पंजी सत्यापित नहीं था, जगह–जगह व्हाइटनर लगाकर	

छेड़छाड़ किया गया है जिससे स्पष्ट है कि पंजी का संधारण कपटपूर्ण ढंग से किया गया है।

4. विक्रेता के द्वारा PHH तथा AAY योजना के राशन का उठाव माह मार्च 14 से जुलाई 14 तक किया गया, जिसमें से विक्रेता के द्वारा दो माह का राशन वितरित किया गया है एवं एक माह का राशन अपनी दूकान में भंडारित किया गया है। इस प्रकार विक्रेता के द्वारा दो माह के PHH तथा AAY योजना के खाद्यान्न की कालाबाजारी की गयी है।
5. PHH तथा AAY योजना के खाद्यान्न का निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर वितरण किया जाता है तथा निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में आपूर्ति किया जाता है।
6. किरासन तेल की आपूर्ति प्रति माह नियमित रूप से नहीं किया जाता है तथा उसका वितरण निर्धारित मात्रा से कम तथा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य लेकर किया जाता है।
7. विक्रेता के द्वारा माह जुलाई 14 के उपावंटित PHH तथा AAY योजना के खाद्यान्न का उठाव SFC गोदाम,बनियापुर से दिनांक 06.09.2014 को किया गया, जिसका वितरण निरीक्षण की तिथि तक नहीं करके पुरा खाधान्न गोदाम में भंडारित रखा जाना, एवं उपभोक्ताओं को परेशान किया जाना, उनके कालाबाजारी की मंशा को दर्शाता है।

उक्त अनियमितताएँ के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुज्ञापन पदाधिकारी,सदर,छपरा के ज्ञापांक 527,दिनांक 27.10.2014 के द्वारा विक्रेता से कारण-पृच्छा किया गया। दिनांक 08.11.2014 को पत्र प्राप्ति के बाद दिनांक 06.12.2014 तक विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि विक्रेता को लगाए गए आरोपों के संबंध में कुछ नहीं कहना है, एवं लगाए गए सभी आरोप सत्य है। अतः विक्रेता की अनुज्ञप्ति को ज्ञापांक 701,दिनांक 11.12.2014 के द्वारा रद्द कर दिया गया। जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है।

अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विक्रेता के द्वारा जांच की तिथि 16.09.2014 को जांच के समय बाट, माप संबधी अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं करने का कारण यह है कि अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतु उसे संबंधित कार्यायल में जमा किया हुआ था। विक्रेता पर कैश मैमो नही देने का जो

आरोप लगाया गया है वह बिल्कुल गलत है। विक्रेता के द्वारा सभी उपभोक्ताओं को कैश मैमो दिया जाता है जिसकी छायाप्रति जवाब के साथ संलग्न किया गया है। विक्रेता के द्वारा PHH एवं AAY की वितरण पंजी सत्यापित नहीं होने एवं जगह-जगह व्हाईटनर लगाकर छेड़छाड़ करने का आरोप गलत है। प्रत्येक वर्ष माह जनवरी में ही नई पंजी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से सत्यापित कराई जाती है। विक्रेता के द्वारा माह 2014 से जुलाई 2014 तक कुल माह का PHH एवं अत्योदय योजना के खाद्यान्न का उठाव किया गया है, जिसमें माह जून 2014 तक के खाद्यान्न का वितरण जांच की तिथि के पूर्व तक संपन्न किया जा चुका था, तथा माह जुलाई 2014 के लिए उठाव किया गया खाद्यान्न भंडार में उपलब्ध था। विक्रेता पर केवल दो माह के खाद्यान्न का वितरण कर दो माह की कालाबाजारी कर देने का आरोप बिल्कूल गलत है। विक्रेता के द्वारा विभागीय दिशा निदेश के आलोक में अनुदानित सामग्री का उठाव एवं वितरण ससमय निगरानी समिति के सदस्यों के समक्ष किया जाता है। विक्रेता के द्वारा मार्च 2014 से जूलाई 2014 तक के भंडार एवं वितरण पंजी की छायाप्रति के साथ कैश मैमो के प्रति अपने जवाब के साथ प्रस्तुत किया गया है। विक्रेता के द्वारा निर्धारित मात्रा से कम सामग्री देने एवं अधिक मूल्य लेने का आरोप सरासर गलत है। माह जूलाई 2014 का खाद्यान्न का उठाव राज्य खाद्य निगम गोदाम,बनियापुर से 06.09.2014 को कर लेने के बावजूद जांच की तिथि तक उसका वितरण नहीं करने के संबंध में कहना है कि राज्य खाद्य निगम के द्वारा डोर स्टेप डिलेभरी की जा रही है, और इसके तहत् कभी कभी खाद्यान्न पंजी पर निर्गत होने के बावजूद गेहूँ/चावल में से किसी एक की उपलब्धता गोदाम में समाप्त हो जाने पर उसकी आपूर्ति कई कई दिनो के बाद गोदाम से होती है, परन्तु ऑन रिकॉर्ड आपूर्ति की तिथि परिवर्तित नहीं हो पाती है, जो उठाव एवं वितरण की तिथि में अंतर का मुख्य कारण है। विक्रेता के द्वारा अनुज्ञापन पदाधिकारी को निर्धारित समय सीमा के अंदर सभी कागजातों के साथ अपना जवाब उपलब्ध करा दिया गया था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्वागह से गस्त होकर कार्यालय स्तर पर इसे दबा दिया गया एवं विक्रेता की अनुज्ञप्ति रद्द हो गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि विक्रेता के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अपीलकर्ता के द्वारा

विभागीय दिशा निदेश के प्रतिकूल अनियमितता बरती गई है। अतः अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत करना उचित प्रतीत होता है।

उक्त पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश (ज्ञापांक 701, दिनांक 11.12.2014) में कई कमियां नजर आ रही है। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा किए गए कारण पृच्छा मे विक्रेता के विरुद्ध आरोप लगाने वाले उपभोक्ताओं के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है, और न ही विक्रेता को उपभोक्ताओं के बयान की प्रति ही उपलब्ध कराई गई है। इस तरह अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत कारण पृच्छा अपने आप में अस्पष्ट और अपूर्ण है। यदि निर्धारित समय सीमा के अंदर विक्रेता के द्वारा जवाब नहीं दिया गया, तो प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से यह आवश्यक था, कि उसे दूसरा मौका देकर उसके जवाब को प्राप्त किया जाता, एवं उसकी सुनवाई की जाती। तत्पश्चात् कोई आदेश पारित किया जाता, लेकिन अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन दिनांक 06.01.2015 को स्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं सशोधित

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 505 /न्या0, दिनांक 04/8/15

प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी,सदर,छपरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– श्री मो0 खालिद, विद्वान विशेष लोक अभियोजक,7ई0 सी0,सारण छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञानपदाधिकारी,एन0आई0सी0 सारण,छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु निदेशानुसार प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।

04/8/15